दिल्ली विकास प्राधिकरण
(नजारत शाखा)
बी-ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-23

दिल्ली विकास प्राधिकरण में लगी हुई फॉटोकॉपियर मशीनों के व्यापक रखरखाव के लिए अनुलग्नक-क में दिए गए विवरण के अनुसार दोहरी बोली प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन बोली आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा दस्तावेजों को दिविप्रा की वेबसाइट www.dda.org.in (केवल संदर्भ के लिए) और सीपीपीपी साइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app से नीचे दी गई महत्वपूर्ण दिनांक पत्रक में दी गई अनुसूची के अनुसार डाउनलोड किया जा सकता है:-

महत्वपूर्ण दिनांक पत्रक

1	निविदा ई-प्रकाशन तिथि और समय	24.09.2020
2	तकीनीकी बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	15.10.2020 समय: 3:00 अपराह्न
3	निविदा खोलने की तिथि (अर्हक बोली)	16.10.2020 समय: 3:30 अपराह्न
4	वित्तीय/मूल्य बोली आरंभ करने की तिथि और समय (केवल उनके लिए जिन्होंने तकनीकी बोली में योग्यता प्राप्त की है)	तकनीकी मूल्यांकन के बाद की तारीख सूचित किया जाएगा

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. बोलियां सीपीपीपी वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app. पर केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जाएगी।

बोलीदाता को https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ई-प्रोक्योरमेंट के लिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ऑनलाइन बोली को ई-सब्मिशन करने के लिए संविदाकारो/ निविदाकारों को अनुदेशों में दिए गए निर्देश का अनुपालन करने की सलाह दी जाती है।

2. बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-

बोलियाँ केवल सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (ई-प्रोक्योरमेंट) के माध्यम से ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

निविदा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखते हुए दो भागों अर्थात् तकनीकि बोली (भाग-I) और वित्तीय बोली (भाग-II) में ऑनलाइन की जाएगी:-

- प्रस्तुत की जा रही बोली के सभी पृष्ठों को अपलोड करने से पूर्व दस्तावेजों के तथ्य की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर और क्रम से अवश्य लगाए जाने चाहिए।
- फैक्स/ई-मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- बयाना जमा राशि (ई एम डी) अर्थात 50,000/- रूपये को आई. एफ. सी. कोड सं SBIN0008005 के एस. बी. आई. खाता सं. 37443686706 में दिविप्रा के मुख्य खाते में जमा करने के माध्यम (इंस्ड्रूमेंट) की स्कैन की गयी प्रतिलिपि, के अतिरिक्त विशिष्ट बोली सं. के साथ शार्प द्वारा जारी प्राधिकार प्रमाणपत्र (स्याही वाले पेन से हस्ताक्षरित) महत्वपूर्ण तिथि पत्रक में यथा उल्लखित ऑनलाइन बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/समय से पहले अथवा उस तिथि तक उप निदेशक (नजारत), चौथी मंज़िल, कमरा सं 404, विकास सदन, नई दिल्ली के पास आवश्यक रूप से पहुँच जानी चाहिए।

(i) केवल सरकारी मंत्रालयों/ विभागों/ सरकार या अर्ध-सरकारी संगठनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, में शार्प मोडल के संगत क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का पर्याप्त अनुभव रखने वाले शार्प फ़ोटोकॉपियर मशीन के प्राधिकृत सेवा प्रदाता और फ़ोटोकॉपियर मशीन के शार्प मेक एवं मॉडल के रखरखाव से संबन्धित कार्य को प्रभावपूर्ण रूप से और ठीक प्रकार से करने के क्षमता रखने वाले ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।

(ii) बोली प्रक्रीया में भाग लेने वाली इच्छुक फ़र्म के पास पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, शार्प फ़ोटोकॉपियर मशीन की सर्विस/रखरखाव में 20 लाख रूपये (बीस लाख रूपये मात्र) का वार्षिक टर्नओवर पंजीकृत होना चाहिए। इसका प्रमाण सी ए प्रमाणपत्र/तुलन पत्र/ हानि एवं लाभ लेखा के फॉर्म में संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(iii) आरंभ में ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा; जो दी कि गयी संतोषजनक सेवा की शर्त पर अधिकतम दो एक्सटेन्शन तक वर्ष प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा।

(iv) वार्षिक रखरखाव ठेका के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावित फ़ोटोकॉपियर मशीनों की संख्या 57 है, जिसका विवरण अनुलग्नक-'क' में दिया गया है।

3. तकनीकी बोलियाँ समिति अथवा बोलीदाताओ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन खोली जाएंगी। केवल उन ही निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली ही खोली जाएगी जिन्होने तकनीकी बोली में योग्यता प्राप्त की है, जिसके समय और स्थान का नोटिस दिया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता को स्वतंत्रता होगी कि वित्तीय बोली खोलने के समय बोली प्राप्ति रसीद के साथ स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो।

4. निविदाकर्ता को बयाना राशि एसबीआई आईएफ़एससी कोड SBIN0008005 के खाता सं 37443686706 में दिविप्रा के मुख्य खाते में जमा करनी चाहिए। यह राशि कार्य के पूरा होने तक ईएमडी के रूप में दिविप्रा द्वारा रखी जाएगी। तथापि बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

5. निविदा दो भागों अर्थात तकनीकी बोली (भाग-I) और वित्तीय बोली (भाग-II) में प्रस्तुत की जाएगी।

भाग I: तकनीकी बोली

निविदाकर्ताओं को तकनीकी बोली में (अनुलग्नक-I के अनुसार) निम्नलिखित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गयी प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है:-

(i) फ़र्म का नाम

(ii) फ़र्म का व्यावसायिक पता (दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे होना चाहिए)

(iii) टेलीफ़ोन नं.

(iv) मोबाइल नं.

(v) पिछले तीन वर्षों के प्रमाण के साथ फर्म का वार्षिक टर्नओवर।

(vi) रख-रखाव और सेवाएं प्रदान करने के पूर्व अनुभव के विवरण की प्रति।

(vii) पिछले तीन वर्षों के दौरान फोटोकॉपियर के रखरखाव हेतु मंत्रालय/सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र । (स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए)

(viii) नवीनतम आयकर विवरणी की प्रति (पैन/टिन के प्रमाण सहित)।

(ix) फर्म के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस नं. की प्रति।

(x) दि.वि.प्रा. के मुख्य खाते में एस.बी.आई. आई.एफ.एस.सी. कोड सं. SBIN0008005 के खाता सं. 37443686706 में 50,000 /- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) की बयाना राशि ।

(xi) जी.एस.टी. खाता सं.

(xii) बोलीदाता के पास नवीनतम जी.एस.टी. चालान के साथ फर्म का जी.एस.टी. नं. होना चाहिए (इसका प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए) । पैन नं., जी.एस.टी. नं. की प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।

तकनीकी बोली में आवश्यक सूचना और/अथवा दस्तावेज और/अथवा बयाना राशि आदि के संबंध में कमी होने की स्थिति में ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भाग-II : वित्तीय बोली

(i) निविदादाताओं को अनुलग्नक-III के अनुसार वित्तीय बोली प्रस्तुत करनी होगी । उक्त को एक्सेल फॉर्मेट में इस निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराया गया है । बोलीदाताओं

को दरें डाउनलोड करने और उद्धृत करने तथा संबंधित स्थान पर साइट में अपलोड करने की सलाह दी जाती है ।

(ii) शब्दों और अंको में उद्धृत दरों में किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में शब्दों में लिखित दरों को अंतिम माना जाएगा ।

6. प्रस्तावित 'वार्षिक सेवा रखरखाव अनुबंध' का संचालन और नियमन निम्नलिखित पैराग्राफ में सूचीबद्ध निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(i) निविदाओं के साथ दि.वि.प्रा. के मुख्य खाते में एस.बी.आई. आई.एफ.एस.सी. कोड सं. SBIN0008005 के खाता सं. 37443686706 में बयाना जमा राशि (ई.एम.डी.) अर्थात् 50,000/- रुपए जमा करवाने हेतु इंस्ट्रूमेंट की स्कैन की गई प्रति होनी चाहिए । उक्त प्रकार से ई.एम.डी. के बिना प्राप्त निविदाओं अथवा किसी भी प्रकार से अपूर्ण निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में यदि निविदादाता द्वारा उद्धृत दरें न्यूनतम हो तो भी उसे किसी भी प्रकार से अभ्यावेदन का अधिकार नहीं होगा ।

(ii) जिन फर्मों की दरें अनुमोदित/स्वीकृत नहीं होंगी, कार्य के अधिनिर्णय को अंतिम रूप देने के पश्चात् उनकी ई.एम.डी. को जारी कर दिया जाएगा । जिस फर्म की दरें अनुमोदित/स्वीकृत कर ली जाएगी उनकी बयाना राशि को केवल तब जारी किया जाएगा जब सबंधित फर्म प्राधिकरण को नीचे उल्लिखित आवश्यक कार्य निष्पादन गारंटी प्रदान करेगी ।असफल फर्मों द्वारा जमा ई.एम.डी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

(iii) यदि बोलीदाता दरें/निविदा को वापस लेता है अथवा उसमें संशोधन करता है अथवा बोली की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से निविदा को बिगाडता है अथवा क्षीण करता है अथवा सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के अंदर अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता अथवा स्वीकृत नहीं करता तो ई.एम.डी. को जब्त कर लिया जाएगा ।इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । किसी भी निविदादाता द्वारा समय से पूर्व निविदा/कोटेशन वापस

लेने की स्थिति में भी ई.एम.डी. जब्त कर ली जाएगी। सशर्त बोली अथवा किसी संशोधन के साथ प्रस्तुत बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा । निविदा प्राप्त करने के लिए अवैध, अनुचित अथवा अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वाले बोलीदाता को ब्लैकलिस्ट करने सहित दि.वि.प्रा. द्वारा उसके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई जा सकती है ।

(iv) रखरखाव का कार्य सभी करों सहित बेसिस आधार पर (सभी स्पेयर पार्ट और सभी उपभोग्य मदें अनुबंधित फर्म द्वारा स्वयं प्रदान की जाएगी 'जहां है जैसा है के आधार पर' प्रतिस्पर्धी दरों पर अनुबंध की जाएगी। प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए/निर्दिष्ट किए पूर्ण अथवा भाग रूप से किसी भी दर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार रखती है । प्राधिकरण सफल बोलीदाता को सभी प्रणालियों/विशिष्ट प्रणालियों के उपकरणों/उपकरणों अथवा कार्य के विशिष्ट मद के रखरखाव का कार्य अधिनिर्णीत करने का अधिकार भी रखती है । बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरें हमेशा किसी भी प्रकार की सेव की प्रकृति तथा पार्ट्स की आपूर्ति में लगने वाले किसी भी प्रकार के सभी करों, उपकरों, लेवी तथा सरचार्ज आदि सहित मानी जाएगी ।

(v) न्यूनतम दर को स्वीकृत करना तथा किसी भी निविदादाता द्वारा दी गई दर को अस्वीकृत करने का कारण बताना प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होगा । निविदा प्रक्रिया के परिणाम के विषय में असफल निविदादाताओं को सूचित करने के लिए भी प्राधिकरण बाध्य नहीं होगा ।

(vi) प्राधिकरण अनुबंध की अवधि के दौरान रखरखाव के प्रयोजन हेतु उसी अनुमोदित दरों तथा निबंधन और शर्तों पर अनुबंध में अतिरिक्त फोटोकॉपियर मशीनों को जोड़ने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है । इसी प्रकार यदि निविदा अवधि के दौरान फोटोकॉपियर मशीनों को किसी समय सर्विस योग्य नहीं पाया जाता तो प्राधिकरण अनुबंध में से हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है । देय अनुबंध प्रभारों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा । ऐसी स्थिति में फर्म द्वारा प्रस्तुत दरें वहीं रहेंगी तथा देय राशि में आनुपातिक वृद्धि होगी ।

(vii) ''पूर्ण सेवा'' रखरखाव प्रकृति में व्यापक होगा और इसलिए इस में अनिवार्य रूप से ठेकेदार के विशेष जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर ही अनुबंध के दौरान फोटोकॉपियर मशीन के सभी इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और /अथवा मैकेनिकल घटक एवं पार्ट्स के सामान्य ब्रेकडाउन, सर्विसिंग और मरम्मत /फिक्सिंग /रिप्लेसमेंट कवर किए जाएंगे। जहां भी और जब भी अनिवार्य हो ,फोटोकॉपियर मशीनों को लगाने के लिए अनिवार्य डिवाइस ड्राइवर भी ठेकेदार फर्म के पास होना चाहिए। रखरखाव में सभी हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर समस्याओं के सुधार भी शामिल होंगे और पूर्वोक्त प्रणालियों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक सभी भागों की मरम्मत/ रिप्लेसमेंट की लागत भी शामिल होगी। प्राधिकरण से किसी सामान्य टूट-फूट/पार्ट्स /उपभोग्य पार्ट्स आदि के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार वसूला नहीं जाएगा

(viii) निविदाकार को तदनुसार मशीनों के रखरखाव के लिए सभी समावेशी दरों को उद्धृत करना होगा। दरें प्रति कॉपी आधार पर तदनुसार पृथक सीट पर उद्धृत की जाए, जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ स्वामी / प्रोपराइटर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो और अनुलग्नक 3 में फर्म द्वारा स्टैंप लगाई गई हो और इन को अपलोड किया जाना चाहिए। उद्धृत दरों को निविदादाता द्वारा अंको और शब्दों दोनों में उल्लेखित किया जाएगा। आंशिक उद्धरण को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा

(ix कुछ भी मिटा हुआ अथवा ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए । विषय पर अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई हो, को प्रोफाइल और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उद्धरण में प्रस्तुत किया जाए।

(x) रखरखाव कार्य करने से पहले सफल फर्म को रखरखाव के उद्देश्य से सभी फोटोकॉपियर मशीनों को संभाल कर ले लेना चाहिए। रखरखाव के लिए उपकरणों को लेने के दौरान उन्हें फर्म के नाम, संपर्क, टेलिफोन नंबर आदि को दर्शाने वाले अपनी पहचान का स्टीकर लगाना होगा और उपयोगकर्ता के नाम के साथ सिस्टम की सभी प्रासंगिक जानकारी वाली एक सूची भी तैयार करें जिसमें यूजर सेक्शन /डेस्क /कार्यालय और संपर्क व्यक्ति का नाम हो । इन सूचियों को उपनिदेशक (नजारत) दि।वि।प्रा। द्वारा सत्यापित किया जाएगा और अपेक्षित संशोधन सुधार,यदि कोई हो, किए जाएंगे और तब उपकरणों की सही संख्या का निर्धारण किया जाएगा और फिर रखरखाव कार्य के उद्देश्य से अंतिम रुप से तय किया जाएगा और हिसाब किया जाएगा।

(xi) निविदा कर्ता निविदा प्रस्तुत करने से पहले उन स्थानों पर जा सकता है जहां मशीनों को स्थापित किया जाता है अपनी विजिट के दौरान बोली दाता लिखित रूप में नोटिस देकर मशीनों का निरीक्षण कर सकता है ताकि वह सभी मामलों में संतुष्ट हो सके और बाद में ऐसे किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न कोई दावा विचारणीय होगा कि बोलीदाता को मशीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। यह हमेशा माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने सभी मशीनों का सभी प्रकार से निरीक्षण कर लिया है और अनुबंध की अवधि के दौरान रखरखाव पर उनकी लागत के संबंध में खुद को संतुष्ट कर लिया है।

(xii) तथापि, प्राधिकरण, जब भी आवश्यकता हो, ठेकेदार फर्म के कार्य निष्पादन की समीक्षा का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है और अनुबंध की अवधि के दौरान यदि संविदादाता फर्म द्वारा दी जाने वाली सर्विस और कार्य संतुष्टिदायक नहीं पाए जाते हैं, तो प्राधिकरण संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय संविदा को समाप्त भी कर सकता है इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और फर्म पर बाध्यकर होगा। प्राधिकरण के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संविदा की अवधि के दौरान ठेकेदार के संतोषप्रद कार्य निष्पादन को देखते हुए ,यदि अनिवार्य हो ,तो संविदा की अवधि को एक-एक वर्ष करके दो और वर्षों के लिए अथवा इस से कम अवधि के लिए नवीकृत कर सकता है।

(xiii)सफल बोलीदाता को 2 लाख रुपये की कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी। यह कार्य निष्पादन प्रतिभूति डिमांड ड्राफ्ट /पे ऑर्डर बैंक गारंटी के रूप में होगी जो लेखा अधिकारी [रोकड़] मुख्य दि.वि.प्रा. के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगा और आशय पत्र के जारी होने के 15 दिनों के अंदर जमा की जाएगी। कार्य निष्पादन प्रतिभूति सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के 90 दिनों तक मान्य रहेगी। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में कार्य निष्पादन प्रतिभूति को जब्त किया जा सकेगा। यह परिनिर्धारित क्षति उस क्षति/दंड के अतिरिक्त होगी, जो नियम और शर्तों मैं यथा विनिर्दिष्ट अनुसार लगाया जा सकता है। कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त हो जाने पर बयाना जमा वापस कर दी जाएगी। कार्य निष्पादन प्रतिभूति पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(xiv) कार्य के लिए निविदा ,निविदा खोलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि हेतु स्वीकृति के लिए खुली रहेगी यदि कोई भी निविदादाता उक्त अवधि या स्वीकृति पत्र जारी करने से पहले,जो भी पहले हो ,अपनी निविदा वापस ले लेता है अथवा निविदा की निबंधन और शर्तों में कोई ऐसा संशोधन करता है ,जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है ,तो डीडीए किसी अन्य अधिकार या

उपाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपर्युक्त अनुसार उक्त बयाना राशि का 50% जब्त करने के लिए स्वतंत्र है इसके बाद निविदादाता को कार्य की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(xv) यदि निविदा दाता कार्य सुपुर्दगी के तुरंत बाद अपना प्रस्ताव वापस लेता है ,तो निविदादाता द्वारा जमा की गई धनराशि को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा और जैसा भी उचित समझा जाएगा निविदादाता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ,जो उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने तक ही सीमित नहीं होगी।

(xvi) जिस फर्म को कार्य सौंपा जाएगा उसे कार्य सुपुर्दगी की तिथि से संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित/ स्वीकृत दरों पर 'रखरखाव' कार्य करना होगा।

जो संविदा की पूरी अवधि के दौरान मान्य होगा और संविदा की अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में इसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

xvii) संविदा के अधीन शामिल फोटोकॉपियर मशीन की नियमित एवं समुचित रखरखाव/ देखभाल तथा इस प्राधिकरण के अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों से प्राप्त शिकायतों को ठीक करने के लिए, फर्म को प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक आधार पर ऐसा सुयोग्य सर्विस इंजीनियर तैनात करना होगा जिसे संबंधित फील्ड की पर्याप्त जानकारी हो और इस फील्ड में पर्याप्त अनुभव हो। मुख्य रूप से, सफल निविदाकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि फोटोकॉपियर मशीनों के रखरखाव के लिए सभी रेजिडेंट सर्विस इंजीनियर तैनात किए जाएंगे।

xviii) "व्यापक सर्विस रखरखाव संविदा" में अनिवार्य रूप से "निवारक" के साथ-साथ "सुधारात्मक" रखरखाव शामिल होगा । अतः, सफल निविदाकार को संबंधित सिस्टम्स के सुधारात्मक एवं निवारक रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का वचन बंद देना होगा/ आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

xix) सभी इच्छुक बोली दाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि **अनुलग्नक-IV** में दी गई जांच सूची के अनुसार सभी दस्तावेज विधिवत रूप से प्रस्तुत किए गए हैं।

- निविदा के सभी निबंधन, शर्तें और अनुबंध इस करार का भाग होंगे और बाध्यकारी होंगे

7. **<u>कार्य का क्षेत्र विस्तार:</u>**

i) संविदाकारी फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि सभी शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। संबंधित उपयोगकर्ताओं से सीधे प्राप्त शिकायत कॉल पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और उपकरण में पाए गए दोषों को तत्काल ठीक करके उपकरण को सामान्य काम करने की हालत में लाया जाएगा।

ii) यदि **एएमसी** के अंतर्गत शामिल किसी उपकरण या उसके किसी पार्ट को मरम्मत आदि के लिए वर्कशॉप ले जाना पड़े तो संविदाकारी फर्म उपयुक्त आपात उपयोगी (स्टैंड बाय) उपकरण भी उपलब्ध करवाएगी ताकि संबंधित उपयोगकर्ताओं के काम में कोई रुकावट ना आए। इस प्रयोजन के लिए, संविदाकारी फर्म अपने पास पर्याप्त संख्या में स्पेयर पार्ट्स रखेगी।

iii) चयनित संविदाकार फर्म सर्विस इंजीनियरों से संपर्क किए जाने के लिए उन्हें चालू मोबाइल फोन भी देगी।

iv) संविदाकार फर्म की या उसके प्राधिकृत इंजीनियरों/ प्रतिनिधियों की लापरवाही या असावधानी के परिणामस्वरूप उपकरण या किसी अन्य सरकारी संपत्ति को हुई क्षति के कारण या फर्म द्वारा सप्लाई किए गए पार्ट्स या स्पेयर पार्ट का प्रयोग करने से उपकरण में आई किसी खराबी के कारण प्राधिकरण को हुए नुकसान के लिए संविदाकार फर्म पूरी तरह से उत्तरदाई होगी। इस कारण से प्राधिकरण को हुई क्षति/ प्राधिकरण द्वारा उठाए गए वित्तीय या अन्य नुकसान को संविदाकार फर्म पूरा करेगी । किसी भी प्रकार के नुकसान / क्षति के लिए फर्म ही जिम्मेदार होगी।फर्म अपने किसी भी कार्य अथवा चूक, किया या निष्क्रियता के कारण दिविप्रा, द्वारा वहन किए गए किसी भी नुकशान या क्षति के लिए दिविप्रा की हमेशा क्षतिपूर्ति करेगी।

v) यदि ठेकेदार कार्यभार को पूरा करने में विफल रहता है या संतुष्टिजनक सेवाएं नहीं दे पाता अथवा किसी भी रूप में संविदा की अवज्ञा करता है तो उस ठेकेदार को दी गई संविदा को तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के रद्द / समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उनकी सुरक्षा जमा राशि, कार्य निष्पादन गारंटी और बकाया राशि यदि कोई हो, को जब्त कर लिया जाएगा । प्राधिकरण किसी भी अन्य फर्म/पार्टी को संविदा कार्य तथा डिफॉल्टर संविदा कार की वह राशि

सौंपने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार के लिए बाध्य होगा।

vi) संविदाकार/ निविदाकार असाइनमेंट के मिलने के बाद आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संविदा को किराए पर या उप संविदा पर नहीं दे सकता। यदि किसी स्थिति में कार्य मिलने के बाद निविदाकार कार्य को किराए पर अथवा उप संविदा पर आंशिक या पूर्ण रूप से देता है तो वह निविदाकार करार का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण उसकी संविदा को समाप्त करते हुए सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लेगा। इस संबंध में निविदा कार किसी भी प्रकार के मुआवजे या क्षति के लिए दावा नहीं करेगा।

vii) मदो के रखरखाव के लिए देय संविदात्मक शुल्क चार किस्तों में और तिमाही आधार पर जारी किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक तिमाही अवधि के अंत में संबंधित तिमाही अवधि के दौरान संविदा कार फर्म के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर। इस उद्देश्य के लिए फर्म को प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी दावा राशि के लिए पूर्व-प्राप्ति बिल/इनवॉइस जमा करने होंगे। उनके पूर्व-प्राप्ति तिमाही बिल/इनवॉइस के सभी भुगतान उनके संबंधित बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे जिस बैंक खाते का विवरण बोली दाता ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिया हो।

viii) संविदा की समय सीमा समाप्ति पर, फर्म प्राधिकरण को उचित चालू अवस्था में सहायक उपकरण सुपुर्द करेगी, ऐसा ना करने पर सुरक्षा जमा राशि से उचित राशि काट ली जाएगी। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और संविदाकार फर्म इसके लिए बाध्य होगी।

ix) कोटेशन में एक विशेष उल्लेख यह भी होगा कि उपरोक्त उल्लिखित निबंधन एवं शर्तें फर्म को पूर्ण रूप से स्वीकार्य होंगी। यह सभी निविदाकार फर्मों के लिए अनिवार्य है जो इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक हैं।

x) किसी भी संबंध में अपूर्ण कोटेशन को बिना किसी कारण का उल्लेख करते हुए रद्द कर दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और संविदाकार फर्म के लिए बाध्य होगा।

xi) यदि प्राधिकरण आवश्यक समझे या ऐसा करना चाहे, तो प्राधिकरण उक्त 'व्यापक सेवा प्रबंधन' के लिए उपरोक्त उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों पर सफल संविदाकार फर्म के साथ करार भी कर सकता है।

xii) विवादों का निपटान और मध्यस्थता: इस करार के किसी प्रावधान की व्याख्या, प्रभाव और निहितार्थ से संबंधित यदि पक्षों के बीच कोई विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होता है, जिसमें किसी पक्ष का इन विलेखों के अधीन या किसी अन्य मामले के तहत अन्य के विरूद्ध अधिकार और दायित्व अथवा कोई दावा अथवा मांग शामिल है, परंतु इस करार में स्पष्ट रूप से उपबंधित कोई मामला, निर्णय या निर्धारण शामिल नहीं है, तो उस तारीख से 30 दिनों के भीतर (या लंबी अवधि के लिए जिस पर पारस्परिक सहमति हो) जिस तारीख को जब एक पक्ष अन्य पक्ष को लिखित रूप से यह सूचित करे कि कोई विवाद अथवा असहमति है तो उनका निपटान नई दिल्ली मे स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय या दिल्ली में नामित मध्यस्थ संस्थाओं के सांविधिक उपबंधों के अनुसार किसी भी पक्षकार के कहने पर नियुक्त प्रक्रिया के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए अद्यतन संशोधित नियमों के अनुसार शासित होगी।

(क) मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।

(ख) मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा केवल अंग्रेजी होगी।

(ग) प्रत्येक पक्ष को मध्यस्थता कार्यवाही की अपनी लागत का भुगतान करना होगा, जब तक कि मध्यस्थ, अवार्ड में अन्यथा कोई निर्णय ना कर दे।

(घ) इस खंड के प्रावधान विफल, निरस्त या निष्क्रिय नहीं होंगे, भले ही इस करार की समय-सीमा समाप्त हो गई हो या इसे रद्द या निरस्त या अवैध घोषित किया गया हो।

(xiii) इस अवधि के चालू रहने के दौरान उठने वाले कानूनी विवादों के लिए क्षेत्राधिकार दिल्ली होगा।दिल्ली की अदालतों में ही इनका निपटान किया जाएगा।

(xiv) निविदाकार अपनी बिना शर्त दरों को संलग्न प्रोफॉर्मा में पूर्ण रूप से उद्दत करें। कटिंग/ओवर राइटिंग यदि कोई हो,तो उसे प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

8. अपनी दरों के प्रस्ताव के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक फर्मों से अपेक्षा की जाती है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वह निविदा भेजने से पूर्व अनुबंध के निबंधन और शर्तों को पढ़ें और और उन्हें पूरी तरह से समझें जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में विस्तृत रूप से बताया गया है। प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोटेशन स्वीकार किए जाने के बाद उपरोक्त निबंधन और शर्तों का कोई परिवर्तन या उल्लंघन/ विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। सफल निविदा-कर्ता को निबंधन और शर्तों को स्वीकार किए जाने के प्रमाणस्वरूप निविदा में निविदा की एक प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिन फर्मों की निविदा स्वीकार नहीं की जाती हैं/प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं, वे संविदा को अंतिम रूप देने के बाद, बयाना जमा राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) के शीघ्र रिफंड की सुविधा के लिए प्राधिकरण आदि को आवश्यक प्राधिकार पत्र भेजेंगे।

(नीना सिंह)
उपनिदेशक (नजारत)
दूरभाष संख्या 011- 24661238

अनुलग्नक-I

तकनीकी बोली (भाग-I)

<u>प्रोफॉर्मा</u>

दि.वि.प्रा. में शार्प फोटोकॉपियर मशीनों की व्यापक सेवा रखरखाव हेतु वार्षिक अनुबंध के लिए कोटेशन

क्रम संख्या	**विवरण**	**ब्यौरा**
1.	फर्म का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	व्यवसाय का पता (व्यवसाय दिल्ली एन.सी.आर. में होना चाहिए एवं निविदाकर्ता द्वारा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा):	
3.	**सी.ए. प्रमाण पत्र** की स्कैन कॉपी सी.ए. की पंजीयन संख्या के साथ पिछले तीन वित्तीय वर्षों का फर्म का वार्षिक टर्नओवर तथा उसका प्रमाण।	
4.	टेलीफोन नं.	
5.	मोबाइल नं.	
6.	रखरखाव एवं सेवा प्रदान करने हेतु पिछले तीन वर्षों के अनुभव के विवरण की प्रति (उसका प्रमाण भी संलग्न किया जाए)	
7	मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए गए पिछले तीन वर्षों का कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र।(स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जाएं)	
8.	नवीनतम आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि (पैन नं. के साथ तथा प्रमाण के साथ)	
9.	फर्म का पंजीकरण/लाइसेंस नं. की प्रतिलिपि	
10.	दि.वि.प्रा. के बैंक खाता में रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) बयाना।	

11.	जीएसटी नं.(स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए)	
12.	क्या शार्प का प्राधिकृत सेवा प्रदाता है (शार्प प्राधिकार पत्र की स्याही से हस्ताक्षर की प्रति)	

पूर्ण हस्ताक्षर: ....

फर्म का नाम: ....

फर्म की मोहर/स्टैम्प; ....

नोट: लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की प्रतिलिपियों इत्यादि के साथ संबंधित प्राधिकरणों से प्राप्त प्रत्येक वैध प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी तथा मुख्य निविदा दस्तावेज में बताए गए अन्य अपेक्षित दस्तावेजों/पेपरों की फोटोकॉपी संलग्न करें।

अनुलग्नक- II
तकनीकी बोली (भाग-1)

<u>वचनबंध</u>

i) मैं/हम एतद-द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करते हैं /वचनबंध करते हैं कि मैंने /हमने संबंधित "सेवा रखरखाव संविदा" में संलग्न शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है जिसके लिए उपर्युक्त समावेशी दरें प्रस्तुत की गई हैं और ये शर्तें हमें पूर्णतया स्वीकार्य हैं।

ii) मैं /हम एतदद्वारा यह भी घोषणा करते हैं/ वचनबंध करते हैं कि उपर्युक्त उद्धृत समावेशी दरें इस संविदा की शर्तों के सुसंगत खंडों के अनुसार और उन्हें पूरी तरह से समझने के बाद प्रस्तुत की गई हैं।

iii) मैं/हम एतदद्वारा यह भी वचनबंध करता हूं/करते हैं कि प्राधिकरण के किसी उपकरण/ सिस्टम या किसी संपत्ति को हमारे द्वारा तैनात कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के मामले में प्राधिकरण में उसके रखरखाव का कार्य हमारे जोखिम पर होगा और इसका उत्तरदायित्व हमारा होगा। ऐसी लापरवाही के कारण प्राधिकरण द्वारा उठाए गए किसी भी वित्तीय या अन्य नुकसान को हम पूरा करेंगे।

iv) मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि संबंधित संविदा से जुड़े सभी मामलों पर और इस संविदा के उपबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों के मामले पर प्राधिकरण के निर्णय अंतिम होंगे और मुझ/ हम पर और हमारी फर्म पर बाध्यकारी होंगे।

पूरा नामः ....

फर्म का नामः ....

फर्म की सील/मुहरः ....

संपर्क फोन नं/मोबाइल नं. ....

<u>अनुलग्नक-III</u>

<u>वित्तीय बोली (भाग-II)</u>

मैं /हम एतदद्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण में लगाई गई निम्नलिखित फोटोकॉपियर मशीनों के व्यापक सेवा रख-रखाव के लिए अपनी कोटेशन/बोली प्रस्तुत करते हैं:

(दरों को करों के साथ सम्मिलित करते हुए स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए)

क्रम सं.	**मेक**	**ब्राण्ड**	**मात्रा**	**प्रति कॉपी दर जिसमें सभी कर शामिल हैं**	
				अंकों में	**शब्दों में**
1.	शार्प	ए आर 5618	08		
		एम एक्स एम 464	17		
		एम एक्स एम 452	02		
		ए आर 6020	06		
		ए आर 6023	06		
		एम एक्स 356	15		
		डी एक्स 2000 यू	02		
		एम एक्स 2010	01		
		ए आर 5620	03		

नोट :-

1. **दरों में सभी करों (जीएसटी), शुल्क एवं उगाही (लेवी) को शामिल किया जाए।**

2. **सेवा अनुरक्षण संविदा के उद्देश्य के लिए उपकरण की संख्या समय समय पर भिन्न/परिवर्तित हो सकती है।**

3. **फोटोकॉपी मशीन को अंदर या अंतर परिसर स्थानांतरण के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।**

यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है तो फर्म द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

अनुलग्नक-IV

जाँच सूची

क्रम सं.	विवरण	हां/नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	**क्या ईएमडी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रति संलग्न है**		
2.	**क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रति संलग्न है**		
3.	**क्या जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रति संलग्न है**		
4.	**क्या ओइएम से प्राप्त प्राधिकार पत्रों की मूल और स्याही से हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रतियां संलग्न हैं**		
5.	**क्या फर्म के वर्ष 2018-19 के साथ पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रति संलग्न है**		
6.	**क्या फर्म के वार्षिक टर्नओवर को दशार्ते हुए वर्ष 2018-19 के साथ प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित तुलन पत्रों की हस्ताक्षरित एवं स्कैनप्रति संलग्न है**		
7.	**क्या फर्म के पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक टर्न ओवर को दर्शाते हुए चार्टेड अकाउंटेंट से प्राप्त प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रमाणपत्र संलग्न है**		
8.	**क्या मंत्रालय /सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी तीन वित्तीय वर्षो (2017-18, 2018-19, 2019-20) के लिए फोटोकॉपी मशीनों के अनुरक्षण संबंधी निष्पादन प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रति संलग्न है? (स्व प्रमाणित प्रतिलिपियों को संलग्न किया जाए)**		
9.	**क्या संलग्न अनुलग्नक-III के अनुसार उद्दत दरें शब्दों और अंकों में दर्शाया गया हैं**		
10.	**क्या वचनबंध प्रपत्र में प्रस्तुत विधिवत हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत वचनबंध फार्म संलग्न है**		
11.	पिछले तीन वर्षों में प्रदान किए जा रहे अनुरक्षण एवं सेवाओं के लिए		

	पूर्व 3 वर्ष के अनुभवों के विवरणों की प्रति (इनके प्रमाणों को भी संलग्न किया जाना चाहिए)		

(फर्म का प्राधिकृत नाम एवं पता)

दूरभाष संख्या/मोबाइल नंबर/फैक्स नंबर

Annexure-A

Lists of Photocopier Machine.

S.No.	Model (SHARP)	Machine S.NO.	Office	Date of procurement
1.	Sharp AR-5620N	23037216	DLM	20.12.2012
2.	Sharp AR-5618	23001965	S.E / Civil Circle-12	30.11.2012
3.	Sharp AR-5618	2303449	Sr. Arch.(NZ)HUPW	30.11.2012
4.	Sharp Ar-5618	23005280	Sr. Arch. WZ, Dwarka	30.11.2012
5.	Sharp AR-5618	23003669	Electrical Division I	30.11.2012
6.	AR-5620N	23053075	Welfare section	20.12.2012
7.	AR-5620N	23052495	C.L.A	20.12.2012
8.	AR5618	23034450	Dir.(H) NW	17.12.2012
9.	AR5618	23003949	Dir. (PR)	02.01.2013
10.	AR5618	230154350	Dir.(W/C)	22.02.2013
11.	MX464	5364	AVO Admin	17.08.2013
12.	AR5618	10104318	Dir.(H) SE	17.12.2012
13.	Sharp-MXM452N	4300081800	LG House	05.08.2015
14.	Sharp-MX2010U	5300378400	LG House	05.08.2015
15.	Sharp-MXM464N	55010750	CLA	30.12.2015
16.	Sharp-MXM464N	5501079	CCS	30.12.2015
17.	Sharp-MXM464N	6500385400	Housing(Coordn.)	09.02.2017
18.	Sharp-MXm464N	6500920600	PB-V	09.02.2017
19.	Sharp-MXm464N	6502400500	Dir.(Sys.)	09.02.2017
20.	Sharp-MXM464N	6500364400	CVO	04.08.2016
21.	Sharp-MXM464N	6502410500	Dir.(LM)-I	18.01.2017
22.	Sharp-MXM464N	6500568500	Meeting Cell	18.01.2017
23.	Sharp-MXM464N	6500580500	P&C	18.01.2017
24.	Sharp-MXM464N	65010386	CE(NZ)	17.07.2017
25.	Sharp-MXM464N	7501242100	EO-I to EM	17.07.2017
26.	Sharp-MXM464N		Dir.(Naz.)	17.07.2017
27.	Sharp-MXM464N	75033673	Dir.(H)-III	21.09.2017
28.	Sharp-MXM464N	75011344	Dy. CLA-I	21.09.2017
29.	Sharp-MXM464N	75011534	Dir. Vig.I	21.09.2017
30.	Sharp-MXM464N		PC(Cordn.)	23.10.2017
31.	Sharp-AR-6020N	73012250	Dir.(Plg.)/	15.03.2018

			AP-III	
32.	Sharp-AR-6020N	73012220	Dir.(CE)	15.03.2018
33.	Sharp-AR-6020N	83007481	Addl. CLA	15.03.2018
34.	Sharp-AR-6020N	73012230	Dir. (LC)	15.03.2018
35.	MX356N		Commr.(LM)	06.02.19
36.	MX356N		STF	
37.	MX356N		Dir(Vig.)IV	
38.	MX356N		SAO ACC(Main)	
39.	MX356N		Dir. (Landscape)	26.02.19
40.			Dy. Director(Commr.Land)	
41.	Sharp-AR-6020N		LM(WZ) Subash nagar	18.06.19
42.			AD(Training)	
43.			Dy. Director (Land)	
44.			NL-I/North	
45.			SLO/LM	
46.			SE(Vig.) I	
47.			Dir.(Pers.)I	
48.	AR6020N		LM(NZ) Pitampura	
49.			DD(LS)	18.06.19
50.	MX356		CE(HQ)	17.09.19
51.			Dir.(P)-II	
52.	AR6023NV		Addl.Commr. Plg.(III)	08.11.19
53.			SE(E)Sports	
54.			AD(Tel.)	
55.			Sr. ARCH.(NZ)	
56.			Landpooling Director	
57.			Landpooling Dy.Dir.	
58.	DX2000U		Pr.Commr. (H)	02.07.19
59.	DX2000U		CCS	09.08.19

❖ भाषा संबंधी कोई विसंगति पाये जाने पर अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।